आदेश

अधीन धारा 3 ऑफ पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918

जैसा कि विदित है कि कोविड–19 कोराना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2021 तक के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी किये गये है। जिसके दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थिति को छोडकर घर से बाहर निकलने की अनुमति नही दी गई है, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है। इस कार्यालय के आदेश पृ0क्रमांक 1186–1206/एम0बी0 दिनांक 17.05.2021 के द्वारा जिले के सभी गांव/शहरों में दिनांक 24.05.2021 तक ठीकरी पहरा लगाये जाने के आदेश पारित किये गए थे। जिसको अब दिनांक 31.05.2021 तक बढाया जाना अति आवश्यक है।

अतः वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए **मैं, धीरेन्द्र खड़गटा, भा०प्र०से0, जिलाधीश, नूह** पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नूह जिला के सभी गांवो व शहरों में दिनांक 24.05.2021 तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित करता हूँ।

उक्त ठीकरी पहरा में गांव व शहरों में स्थानीय निवासियों में से सक्षम वयस्क पुरुषों की ड्यूटी लगाई जावें।

इन आदेशों की पालना करवाने के ओवर ऑल इन्चार्ज मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नूहं होंगे तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/तहसीलदार/उप–तहसीलदार/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नूहं का सहयोग करेंगे। सभी थाना प्रबनधक भी इस मामले में सम्बन्धित नगरपालिकाओं/ग्राम पंचायतो से सम्पर्क बनाये रखेंगे।

इन आदेशों का प्रचार जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, नूह/तहसीलदार/उप तहसीलदार/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/स्थानीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों द्वारा करवाया जायेगा।

इस आदेश की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दा पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर सहित जारी हुए।

यह आदेश दिनांक 25.05.2021 से दिनांक 31.05.2021 तक प्रभावी होंगे।

Seal of the Court District Magistrate * Nuh * सत्यमेव जयते

जिलाधीश, नूंह।

Scanned with CamScanner

पृ०क्रमांक 1406-26/एम0बी0 दिनांक 25/05/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, एवं वितायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग चण्डीगढ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।
5. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, चण्डीगढ।
6. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
7. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।
8. महानिरीक्षक पुलिस, दक्षिणी मण्डल, रेवाडी।
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नूह।
10. पुलिस अधीक्षक, नूहं ।
11. अतिरिक्त उपायुक्त, नूह।
12. उप मण्डल अधिकारी (ना०), नूह/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना/तावडू।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नूहं।
14. जिला राजस्व अधिकारी, नूंह।
15. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूह।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी नूंह।
17. जिला सूचना अधिकारी, नूंह (NIC) को भेज कर लिखा जाता है कि उक्त आदेश जिला प्रशासन, गृह की वैबसाईट पर अपलोड करवाये।
18. जिला नूंह के समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
19. जिला नूंह के समस्त तहसीलदार/उप तहसीलदार।
20. सचिव नगरपालिका, नूंह/फिरोजपुर झिरका/ पुन्हाना/ तावडू।
21. जिला नूंह के समस्त थाना प्रबन्धक (माध्यम कार्यालय पुलिस अधीक्षक नूंह)

जिलाधीश, नूंह।

Scanned with CamScanner